राजस्थान सरकार

निदेशालय, स्थानीय निकाय, राज0 जयपुर

जी–3, राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन फाटक के पास, जयपुर

(Phone &Fax-2222403/2223239 Web-www.lsgraj.org Email ID-dlbrajasthan@gmail.com)

क्रमांकःएफ.55( )पीए/सीई/डीएलबी/कोरोना/2021/108410-630 दिनांकः 18/06/2021

उपनिदेशक (क्षेत्रीय),
स्थानीय निकाय विभाग,
समस्त, राजस्थान।

आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी,
नगर निगम/परिषद्/पालिका,
समस्त, राजस्थान

विषयः–कोरोना के प्रसार को रोकने हेतु जारी गाइडलाइन की पालना एवं वैक्सीनेशन व जन जागरूकता अभियान की गतिविधियों बाबत्।

संदर्भः–गृह विभाग, राजस्थान सरकार का आदेश क्रमांक प.7(1) गृह–7/2021 दिनांक 07.06.2021 (प्रति संलग्न)।

''राज्य में कोरोना संक्रमण में गिरावट आई है, परंतु संक्रमण पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है।'' इसे देखते हुए हाल ही में गृह विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा संदर्भित आदेश के माध्यम से कोरोना की दूसरी लहर के प्रसार को रोकने एवं जन जागरण अभियान के व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु विशेष गाइडलाइन जारी की गयी है। संदर्भित तथा पूर्व में जारी गाईडलाईन की पालना कराने के साथ–साथ कोरोना जागरूकता अभियान के अंतर्गत संचालित समस्त गतिविधियां जारी रखते हुए **संभावित भीड़भाड़ एवं व्यावसायिक क्षेत्रों में त्रिस्तरीय मॉडिफाईड लॉकडाउन के दौरान निर्धारित कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने पर नागरिकों/वाणिज्यिक स्थलों/विवाह स्थलों/सार्वजनिक कार्यक्रम स्थलों पर सीज/शास्ती की कार्यवाही पर विशेष ध्यान देना सुनिश्चित करें।**

''माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा कोविड वैक्सीनेशन से संबंधित वीडियो कॉन्फ्रेंस में कहा कि कोरोना महामारी से बचाव के लिये वैक्सीन कारगर उपाय है।'' अतः वार्ड स्तर तक के जनप्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, स्वयंसेवी संगठनों, एनसीसी, एनएसएस, स्काउट–गाइड, खिलाड़ियों, स्वयं सहायता समूह सहित समाज में प्रभाव रखने वाले प्रबुद्धजनों को वैक्सीनेशन अभियान में सामाजिक जिम्मेदारी निभाने हेतु प्रेरित करें। वैक्सीन का सुरक्षा कवच देकर ही हम संक्रमण की अगली लहर से प्रदेशवासियों को बचाने में कामयाब हो पाएंगे।

Scanned with CamScanner

कोरोना जागरूकता अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पुलिस विभाग, राजस्थान स्काउट गाईड, एनसीसी, एनएसएस, एनवाईसी व उक्त अभियान के कार्यों में संलग्न अन्य विभागों/संस्थाओं के मध्य समन्वय स्थापित करते हुए उपयुक्त वर्णित एवं पूर्व में जारी पत्रों में अंकित गतिविधियां, जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जागरूकता अभियान के कियान्वयन के लिए आवश्यक है, उन सभी कार्यो का निष्पादन करेंगे।

अभियान के अंतर्गत की जा रही कार्यवाही की सूचना निर्धारित गूगल ड्राईव में उपनिदेशक (क्षेत्रीय), आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी स्वयं के स्तर पर पर्यवेक्षण करने के पश्चात् नियमित रूप से भिजवाना सुनिश्चित करें।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें।

(दीपक नंदी)
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

क्रमांकःएफ.55( )पीए/सीई/डीएलबी/कोरोना/2021/108631-679 दिनांकः 18/06/2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।
3. निजी सचिव, निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग।
5. जिला कलक्टर (समस्त), राजस्थान।
6. प्रोग्रामर (आई. टी. प्रकोष्ठ), निदेशालय, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. सुरक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक

Scanned with CamScanner